राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(35)/ग्रावि/नरेगा/हरित सडक/2009–10 जयपुर, दिनांक : 24 DEC 2009

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त जिले।

विषयः– जिलों में हरित सड़क निर्माण कार्य हेतु दिशानिर्देश।

महोदय,

विभाग द्वारा जारी पत्रांक पीएस/पीएसआरडीपीआर/2009/295 दिनांक 20.08.09 (प्रति संलग्न) के अनुसार हरित सडक के विकास के कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने हैं। उपरोक्त पत्र की निरन्तरता में उक्त कार्य के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. उक्त पत्र दिनांक 20.08.09 के बिन्दु संख्या 1 व 2 के अनुसार सडकों की प्राथमिकता तय करते हुए कार्यो को वार्षिक कार्य योजना में आवश्यक रूप से सम्मिलित किये जावें।
2. यथासम्भव एक तकमीने में एक ही ग्राम पंचायत का कार्य शामिल किया जाये। कार्य की वित्तीय स्वीकृति भी पंचायत वार जारी हो। यदि कार्य एक से अधिक पंचायत क्षेत्र में किया जाता है तो तकमीनें में पंचायतवार वर्गीकरण दिखाया जावे एवं अकुशल श्रमिक संबंधित ग्राम पंचायत के ही नियोजित किये जावें।
3. तकमीने ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार बनाये जावे। ऐसे आइटम जो जी.के.एन. मे सम्मिलित नहीं है, वे आइटम विभागीय बीएसआर के आधार पर लिये जा सकेगे। तकमीना पूर्ण कार्य का बनाया जावे, जिसमें नरेगा योजनान्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों को दर्शाया जावे। इस हेतु भारत सरकार द्वारा जारी नरेगा की कनवर्जेन्स गाईड लाईन्स का भी ध्यान रखा जावे। यह गाईडलाइन वेबसाइट www.nrega.nic.in पर उपलब्ध है।
4. सामग्री का क्रय भी ग्रामीण कार्य निर्देशिका के आधार पर ही किया जावे। यदि सामग्री का आईटम ग्रामीण कार्य निर्देशिका में नहीं है तो विभागीय बी.एस.आर. के आधार पर सामग्री क्रय की जा सकती है। कार्यों के लिए केवल निर्माण सामग्री ही निविदा द्वारा नियमानुसार क्रय की जावे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की ऑपरेशनल गाईडलाईन–2008, तृतीय संस्करण के बिन्दु 6.7.3 का ध्यान रखा जायेगा। सामग्री की दरों का अनुमोदन जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया जावे। सामग्री क्रय में गुणवत्ता का ध्यान रखा जावे एवं उसका नमूना रखा जावे।

5. सार्वजनिक निर्माण विभाग को हरित सडकों के निर्माण हेतु कोई ओवर हैड चार्ज देय नहीं होगा।

6. नरेगा एक्ट अन्तर्गत अनुसूची–1 के पैरा 11 एवं 12 के अनुसार ठेके पर कार्य अनुमत नहीं है अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कार्य ठेके पर नहीं हों। नरेगा में वे सभी कार्य मशीनरी से करवाना वर्जित है जो मानव श्रम से व्यावहारिक रूप से सभंव है। अतिआवश्यक मशीनरी यथा रोड रोलर/मिक्सर/वाईब्रेटर का आईटम तकमीने में पृथक से सम्मिलित किया जावे। इसे मेटीरियल कम्पोनेन्ट अन्तर्गत चार्ज किया जावे।

7. केवल जॉब कार्ड धारकों को ही अकुशल श्रमिकों के रूप में नियोजन किया जाये। इसके लिये अकुशल श्रमिकों की मस्टररोल संबन्धित पंचायत समिति के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कियान्वयन एजेन्सी सा.नि.वि. को जारी की जायेगी।

8. कुशल/अर्द्वकुशल श्रमिकों का नियोजन भी मस्टररोल पर किया जाएगा। इसके लिए कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पृथक से मस्टररोल कुशल/अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए जारी की जाएगी।

9. कार्य शुरू कराने से पहले श्रमिकों से फार्म नं. 6 भरवा लिये जावें एवं कार्य हेतु श्रमिक, संबन्धित ग्राम पंचायत द्वारा प्राथमिकता से उपलब्ध कराये जायेगें। इस हेतु सा.नि. विभाग द्वारा पूर्व में संबन्धित कार्यक्रम अधिकारी को अग्रिम रूप से सूचित किया जायेगा।

10. कार्य शुरू होने से पहले सम्बन्धित ग्राम पंचायत में श्रमिकों/ जॉबकार्डधारियों की उपलब्धता का वास्तविक आंकलन कर लिया जावे। प्रयुक्त होने वाली सामग्री की समुचित व्यवस्था विभाग के ब्लॉक स्तरीय अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित कर ली जावे ताकि कार्य बिना किसी व्यवधान के पूर्ण हो एवं किया गया व्यय निष्फल नहीं जाये एवं निर्मित परिसम्पत्ति का पूर्ण उपयोग हो। अगर बीच–बीच में कार्य किसी भी कारण से बन्द होता है तो बन्द होने से पूर्व सेफ स्टेज पर लाकर ही बन्द किया जाये। किये गये कार्य पर दुबारा कार्य कराया जाना किसी भी हालत में अनुमत नहीं होगा।

11. हरित सडक के दौरान कराये जा रहे सडक की चौडाईकरण के कार्य में रोड़ की Continuity संधारित की जावे ताकि कोई गेप न रह जायें, अगर गेप रह जाये तो सा.नि.वि. अपने स्तर पर अपने संसाधनों से पूरा करायेगा। यदि कोई हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में नही हो तो कार्यकारी एजेन्सी द्वारा किसी अन्य योजना में कार्य पूर्ण करवा लिया जाये।

12. नरेगा के अन्तर्गत सडकों की चौडाई बढाने के कार्य उपरान्त डामरीकरण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र ही अपने बजट/ संसाधनों से आवश्यक रूप से पूर्ण करवा लिया जाये। पूर्व में नरेगा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों पर दोबारा राशि व्यय नहीं की जावेगी।

13. पौधा रोपण के लिए पौधे वन विभाग या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत नर्सरी से प्राप्त किये जावे।

14. सडक की बाउण्डरी के साथ ही वृक्षारोपण किया जाये व इस हेतु पौधों का चयन इस प्रकार करें कि पानी की मांग कम हो तथा जिन्हें पशु नहीं खाते हो। इस प्रकार नीम को प्राथमिकता देते हुए चुरैल, केशिया–सामिया आदि वृक्षों के पौधे लगाये जा सकते हैं। पौधों की सुरक्षा क्षेत्रीय प्रचलन/उपलब्ध सामग्री यथा रिंगपिट/हनीकॉम्ब ब्रिक्स स्ट्रक्चर/ कांटेदार झाडियों का उपयोग करते हुए सुनिश्चित की जायें। इस हेतु लोहे के ट्री गार्ड/एंगल फैन्सिंग का उपयोग किसी भी हालत में नहीं किया जाये। हनीकॉम्ब ब्रिक्स स्ट्रक्चर को सामग्री मद में लिया जावे।

15. पौधारोपण के कार्य के साथ--साथ पौधों के पांच वर्ष के रख रखाव के वित्तीय प्रावधान का प्रस्ताव भी तकमीने में सम्मिलित किया जावे परन्तु प्रत्येक वर्ष के रख रखाव के कार्यो की स्वीकृति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अलग--अलग जारी की जावे।

16. पौधों की सुरक्षा के लिये लगाये जाने वाले चौकीदार (अकुशल नरेगा श्रमिकों) से ही पौधो को पानी पिलाने की व्यवस्था भी की जाये।

17. जिले में स्वीकृत सभी नरेगा कार्यो के लिए श्रम व सामग्री का अनुपात जिला स्तर पर 60 : 40 रखा जावे।

18. कार्यों का कियान्वयन उच्च गुणवत्ता के साथ विभाग के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप होगा व गुणवत्ता नियंत्रण का सम्पूर्ण रिकार्ड संधारित होगा। इस हेतु कार्यों के कियान्वयन के दौरान विभागीय निर्देशों के अनुरूप सक्षम अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। कार्य में पारदर्शिता हेतु विभाग द्वारा कार्य शुरू होने से पूर्व कार्यस्थल पर दृष्टव्य स्थान पर चार गुना तीन फीट दीवार पर पीले रंग की सतह पर लाल रंग से भारत सरकार द्वारा जारी नरेगा की ऑपरेशनल गाईडलाईन 2008 के तीसरे एडिशन के परिशिष्ट बी–13 में अंकित प्रारूप में सूचनाएं हिन्दी में प्रदर्शित की जायेगी।

19. उपरोक्त निर्देशों की पालना करते हुये कार्य की तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी संस्था सा.नि.विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी, इसके उपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति एक साथ जारी की जावे।

20. विभाग द्वारा जारी स्वीकृति में अंकित अवधि में कार्य पूरा करवाकर यू.सी./ सी.सी. प्रस्तुत करनी होगी।

21. नरेगा कार्यों हेतु भारत व राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों की पालना करने की जिम्मेदारी कियान्वयन एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग की होगी।

22. कार्य के दौरान अलग–अलग स्टेज पर न्यूनतम चार बार दिनांकित वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की जावे।

उपरोक्त शर्तें आपके द्वारा कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबंध में जारी स्वीकृतियों जो कि 50.00 लाख रूपये से कम राशि की हैं, पर भी लागू होंगी।

सा.नि.वि. से संबंधित राज्य स्तर से अनुमोदन योग्य प्रस्ताव के साथ तकनीकी रूप से स्वीकृत तकमीनों के Abstract की मात्र प्रति संलग्न चैकलिस्ट के साथ पुनः प्रस्तुत करें, विस्तृत तकमीनों की आवश्यकता नहीं है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

24.12.09

(डॉ. दिनेश कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव,
सार्वजनिक निर्माण विभाग

(सी.एस. राजन)
प्रमुख शासन सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक एफ 4(35)/ग्रावि/नरेगा/हरित सडक/2009–10 जयपुर, दिनांक : 24 DEC 2009

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय ग्रा. वि. एवं पंचा. राज विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय सा.नि.वि., राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचा. राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सा.नि.वि. जयपुर।
7. मुख्य अभियन्ता व अतिरिक्त सचिव, सा.नि.वि.वि. जयपुर।
8. मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि.(विशिष्ट योजनाऐं) जयपुर।
9. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि. सम्भाग (समस्त)।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अतिरिक्त, जिला कार्यक्रम समन्वयक, राजस्थान को भेजकर लेख है कि वे सभी विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी को अपने स्तर पर निर्देश की प्रति पालनार्थ उपलब्ध करायेंगे।
11. अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि., (समस्त) राजस्थान।
12. अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड (समस्त)।
13. कार्यालय के समस्त अधिकारी।
14. रक्षित पत्रावली।

चैक लिस्ट

जिलों में हरित सड़क निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत की जाने हेतु चैक लिस्ट

कार्य का नाम.......................................

पंचायत समिति.................................. **जिला ....**

क्र. सं.	आईटम	हां / नहीं	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या जिस पर यह सूचना उपलब्ध है
1.	प्रस्तावित कार्य जिले की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित (प्रति संलग्न) है।		
2.	प्रत्येक तकमीने में ग्राम पंचायत का नाम अंकित है।		
3.	प्रस्तावित कार्य को स्वीकृत करने पर जिले में नरेगा कार्यों के लिए श्रम व सामग्री का अनुपात 60 : 40 ही रहेगा। इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न करें।		
4.	तकमीना ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार बनाया गया है। ऐसे आइटम जो जी.के.एन. मे सम्मिलित नहीं है, वे आइटम विभागीय बीएसआर के आधार पर लिये गये हैं। तकमीना पूर्ण कार्य का बनाया गया है।		
5.	तकमीने के Abstract में श्रम व सामग्री व्यय को अलग–अलग स्पष्ट रूप से मय प्रतिशत के अंकित किया गया है।		
6.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम–2005 की अनुसूची–1 के पैरा--11 के अनुसार कार्य ठेके पर कराया जाना निषेध है, अतः इस बिन्दु को ध्यान में रखकर प्रस्ताव तैयार कराये गये हैं तथा कार्य के दौरान भी इसका ध्यान रखा जायेगा।		
7.	यह सुनिश्चित करा लिया गया है कि कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई है तथा तकनीकी स्वीकृति में ग्रामीण कार्य निर्देशिका व नरेगा योजना की ऑपरेशनल गाइड लाईन, 2008 के अध्याय--6 में गैर–अनुमत आईटम सम्मिलित नही किये गये हैं।		
8.	परीक्षण उपरान्त इस प्रस्ताव पर जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक की परीक्षण टिप्पणी अंकित की गई है एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की ऑपरेशनल गाईडलाईन--2008, तृतीय संस्करण के बिन्दु 6.7.3 का ध्यान रखा गया है।		

9.	कार्यकारी एजेन्सी को किसी भी तरह का कोई ओवर हैड चार्ज देय नहीं होना सुनिश्चित किया जायेगा।		
10.	हरित सडक के दौरान कराये जा रहे सडक की चौडाईकरण के कार्य में रोड़ की Continuity संधारित की जायेगी ताकि कोई गेप न रह जायें, अगर गेप रह जाये तो सा.नि.वि. अपने स्तर पर अपने संसाधनों से पूरा करायेगा। यदि कोई हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में नही है तो कार्यकारी एजेन्सी द्वारा किसी अन्य योजना में कार्य पूर्ण करवा लिया जायेगा।		
11.	नरेगा के अन्तर्गत सडकों की चौडाई बढाने के कार्य उपरान्त डामरीकरण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र ही अपने बजट/संसाधनों से आवश्यक रूप से प्राथमिकता से पूर्ण करवा लिया जायेगा। पूर्व में नरेगा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों पर दुबारा राशि व्यय नहीं की जावेगी।		
12.	सडक के किनारे प्राथमिकतावार वे ही पौधे लगाये जायेंगे, जिनमें कम पानी का उपयोग हो तथा जिन्हें पशु नहीं खाते हों। इस प्रकार नीम को प्राथमिकता देते हुए चुरैल, केशिया–सामिया आदि वृक्षों के पौधें लगाये जा सकते है। पौधों की सुरक्षा क्षेत्रीय प्रचलन/उपलब्ध सामग्री यथा रिंगपिट/हनीकॉम्ब ब्रिक्स स्ट्रक्चर/ कांटेदार झाडियों का उपयोग करते हुए सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु लोहे के ट्री गार्ड/एंगल फैसिंग का उपयोग किसी भी हालत में नहीं किया जायेगा।		
13.	पौधारोपण के कार्य के साथ–साथ पौधों के पांच वर्ष के रख रखाव के वित्तीय प्रावधान का प्रस्ताव भी तकमीने में सम्मिलित कर लिया गया है। प्रत्येक वर्ष के रख रखाव के कार्यो की स्वीकृति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अलग–अलग जारी की जायेगी। पौधों की सुरक्षा के लिये लगाये जाने वाले चौकीदार (अकुशल नरेगा श्रमिकों) से ही पौधो को पानी पिलाने की व्यवस्था की जायेगी।		
14.	कार्य के दौरान हर स्तर पर कार्य की गुणवत्ता S & Q C खण्ड से सुनिश्चित कर रिपोर्ट वर्क फाईल में रखी जायेगी।		

अधीक्षण अभियंता,
सा.नि.वि. वृत

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
जिला ....

स्थान :
दिनांक :

for Kind Attention to Sh. G.L. Mathur SE

राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांकः पीएस/पी.एस.आरडी.पी.आर./2009/295   दिनांकः **Thursday, 20 August 2009**

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

महोदय,

माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं मा0 राज्यमंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मध्य हुई बैठक में निम्न निर्णय लिये गये जिनका कियान्वयन करना सुनिश्चित किया जाये :-

1. प्रत्येक जिला कलक्टर, नरेगा के तहत किये जा रहे कार्यो का एक्शन प्लान तैयार कर जिले की प्राथमिकता तय करे, जिसमें सड़कों का निर्माण भी शामिल किया जावे।

2. वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर, सामान्य जिलों में 250 से 499 तक की आबादी, एवं मरु-स्थलीय एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में 250 से कम आबादी के गांव, माजरे, ढाणी इत्यादि (हैबिटेशन) के लिए नवीन बी.टी. सड़कों का निर्माण नरेगा के तहत प्राथमिकता से कराया जावे।

3. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पूर्व में निर्मित ऐसी सड़कें जो गांवों के एक छोर पर छोड़ दी गई हैं, उनको गांवों के अन्दर से दूसरे छोर तक जोड़ने के लिए बी.टी. सड़क निर्माण कार्य नरेगा के तहत लिये जावें। ऐसी सड़कों पर यदि सी.सी. की आवश्यकता हो तो सार्वजनिक निर्माण विभाग स्वंय के स्तर से सी.सी. की व्यवस्था कराएगा।

4. "हरित सड़क" का विकास – ग्रामीण क्षेत्रों से निकल रही सड़कें जैसे राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, इत्यादि जिनकी वर्तमान में चौड़ाई एक लेन अथवा कम हैं, पर यातायात का दबाव अत्यधिक बढ़ जाने के कारण दुर्घटनायें घटित होने की सम्भावना बढ़ गई है, अतः उनका रखरखाव व सुदृढ़ीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रत्येक जिले में 100 किलोमीटर कुल लम्बाई तक की ऐसी सड़कों को चिन्हित कर मिट्टी, ग्रेवल, मैटल (डब्ल्यू.बी.एम.), सुदृढ़ीकरण, एवं ऐसी सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण (जिसमें नीम को प्राथमिकता दी जावेगी) का कार्य करेगा। इन कार्यो की स्वीकृति नरेगा के तहत जारी की जावेगी। इन सड़कों पर डामरीकरण का

कमरा नम्बर 5213, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान, भारत – 302 005

Tel (O): +91 (141) 2227132   Tel (R): +91 (141) 2707400   Fax: +91 (141) 2385407

कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग स्वंय के वित्तीय संसाधनों से करायेगा। ऐसे चिन्हित "हरित सड़क" पर सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. योजना के अनुसार सूचना बोर्ड लगायेगा।

5. नरेगा के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से निर्मित की जा रही सड़कों की भविष्य की आवश्यकताओं को मध्य नजर रखते हुये सड़कों की चौड़ाई 7.50 मीटर ग्रेवल, दोनो ओर एक.एक मीटर मिट्टी के बर्म्स, कुल 9.50 मीटर चौड़ाई (Embankment width) स्वीकृत की जावेगी। अब तक स्वीकृत मामलों में भी तदनुसार संशोधित स्वीकृति जारी की जावे। जहां जमीन की उपलब्धता में कठिनाई आवे, ऐसे मामलों में जिला कलक्टर, संबंधित उपखण्ड अधिकारी, संबंधित ग्राम पंचायत एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उचित निर्णय लिया जावे। स्वीकृत राजस्व रास्तों को अतिक्रमण से मुक्त कराने में जिला प्रशासन मदद करेगा।

6. सार्वजनिक निर्माण विभाग को आवश्यकतानुसार वांछित संख्या में नरेगा श्रमिक उपलब्ध कराये जावेगें।

7. जिले में स्वीकृत सभी नरेगा कार्यो के लिए श्रम एवं सामग्री का अनुपात जिला स्तर पर 60:40 रखा जावे।

उपरोक्त कार्यवाही करते समय इन कार्यो का सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से अनुमोदित होना भी सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(जी.एस. संधु)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

क्रमांकः एसई(एस.एस.)सा.नि/नरेगा/2009-10/डी-151 जयपुर,दिनांक 21.8.2009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थः

1. जिला कलक्टर .... (समस्त)।
2. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग .... (समस्त)।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग संभाग .... (समस्त)।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला.................. (समस्त)।
5. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत .... (समस्त)।
6. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड .... (समस्त)।
7. अधिशाषी अभियंता, मोनेटरिंग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सचिवालय, जयपुर।
8. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड .... (समस्त)।
9. सहायक कम्प्युटर प्रोग्रामर (ए.सी.पी.), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषितः-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।